राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :— अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 136 / 2025 दायर तारीख 06.06.2025

**अनवान**

1. चन्दा पत्नी नन्दकिशोर जाति सलावट पेशा कृषि एवं गृहणी निवासी बिजन बावड़ी के पास बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीया

**बनाम**

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........... विपक्षी

**उपस्थित :—** 1. श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. पैरोकार सरकार –विपक्षी

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131— 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

## —: निर्णय :—

दिनांक 05 / 05 / 2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131— 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया0 की मौजा ग्राम बिजोलिया कला स्थित आराजी संख्या 1389 में दो बीघा भूमि आवंटित की गई जिसकी पेमुदगी सिपुर्दगी नामा. दिनांक 24 / 06 / 1989 को किया जाकर प्रार्थिया के सिपुर्द कर दी। जिसकी मिसल संख्या 398 / 89 है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थिया का कब्जा वर्ष 1989 से इसी नंबर से चला आ रहा है। प्रार्थिया भूमिहीन किसान है और तत्कालीन राज्य सरकार में उस वक्त परिवार कल्याण विभाग में नसबंदी का प्रोत्साहन देकर ओपरेशन कराया उसके तहत यह दो बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई। तभी से काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है। और अपने पुरे परिवार का लालन—पालन कर रही है। यह कि में विधवा हु और मेरे परिवार का जीवन निर्वाह भी इसी जमीन पर निर्भर है इसके अलावा आय का अन्य जरिया वसीला नहीं है। जहाँ पर राजस्व विभाग द्वारा जहाँ जमीन सिपुर्द की गई वहां बरसो से मेरा कब्जा है और आराजी संख्या 1389 नंबर में जमीन अलोट हुई है उसी खसरा नंबर पर मेरा कब्जा है केवल मात्र रेकोर्ड में अशुद्दी के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है जिसे राजस्व रेकोर्ड में दुरुस्त किया जाना वाजिब है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 1389 में दो बीघा रकबा को तहसीलदार साहब बिजोलिया को आदेश दिया जावे की वह रेकोर्ड में संशोधन कर मेरे कब्जे शुदा जमीन को रेवेन्यु मेप जमाबंदी आदि में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/1554 दिनांक 31.07.2025 द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2025/1669 दिनांक 14.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि भू०अ०नि० बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का बिजौलियां कलां द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम बिजौलियां कला, तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 1692/1389 रकबा 0.3237 है० भूमि चन्दादेवी पत्नी नन्दकिशोर सलावट सा. देह के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर राजस्व नक्शा लट्टा में तरमीम है। (नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न अनुसार)। ग्राम बिजौलियां कलां के नामा. सं. 955 पर उक्त भूमि का गैरखातेदारी (आवंटन) का नामा. दर्ज हैं जिस पर चस्पा आवंटन आदेश अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के आवंटन आदेश क्रमांक / मिसल नं. / 398 दिनांक 21.10.1989 से प्रार्थी को ग्राम बिजौलियां कला की खसरा सं. 1389 में 02 बीघा भूमि आवंटन की गई है। जो आज दिनांक तक 1692/1389 रकबा 0.3237 है० गैरखातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जानकारी मौतविरानो से की जाने पर मौतविरानो ने बताया है कि प्रार्थीया को उक्त भूमि नसबन्दी कराने के एवज में हुई थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा राजस्व नक्शा लट्टा में दर्ज तरमीम अनुसार नहीं पाया गया है। प्रार्थीया द्वारा आराजी नं0 1865/1389 में पत्थरो की कोट करके 0.3237 है० भूमि पर कब्जा किया हुआ है। आराजी नं0 1865/1389 मूलरूप से आराजी नं0 1389 का ही हिस्सा है। उक्त कब्जा प्रार्थीया का होने की पुष्टि मौतविरानो के द्वारा की गई है। (सलंग्न मौका पर्चा अनुसार है।) प्रार्थीया अपनी गैर खातेदारी भूमि की तरमीम वर्तमान में दर्ज तरमीम के स्थान पर शुद्ध करवाकर वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा कब्जेशुदा स्थान पर तरमीम करवाना चाहती है। जिसे सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उपस्थित मौतविरानो से जानकारी करने पर उक्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद जाहिर नही पाया गया है।

अतः रिपोर्ट, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रतियां एवं आवंटन आदेश, नामा. की फोटोप्रतियां संलग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दस्तावेज के साथ भूमि आवंटन पत्रावली की आदेशिका, आवंटन प्रार्थना पत्र सन 1989, खसरा गिरदावरी ग्राम बिजौलियां कलां प0ह0 बिजौलियां कलां सम्वत् 2051 से 2054, नक्शा ट्रेस, भू– नक्शा की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के अनुसार मौजा ग्राम बिजोलिया कला स्थित आराजी संख्या 1389 में दो बीघा भूमि आवंटित करना बताया हैं जहाँ पर राजस्व विभाग द्वारा जहाँ जमीन सिपुर्द की गई वहां बरसो से प्रार्थीया का कब्जा होने से राजस्व रेकोर्ड

निरन्तर पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

में दुरुस्त किया जाना चाहा है। एवं पैराकार सरकार ने बताया कि प्रार्थीयां को ग्राम बिजौलियां कला की खसरा सं. 1389 में 02 बीघा भूमि आवंटन की गई है। जो आज दिनांक तक 1692/1389 रकबा 0.3237 है० गैरखातेदारी हक से दर्ज है। मौतविरानो ने बताया है कि प्रार्थीया को उक्त भूमि नसबन्दी कराने के एवज में हुई थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा राजस्व नक्शा लट्ठा में दर्ज तरमीम अनुसार नहीं पाया गया है। प्रार्थीया द्वारा आराजी नं0 1865/1389 में पत्थरो की कोट करके 0.3237 है० भूमि पर कब्जा किया हुआ है। आराजी नं0 1865/1389 मूलरूप से आराजी नं0 1389 का ही हिस्सा है। उक्त कब्जा प्रार्थीया का होने की पृष्टि मौतविरानो के द्वारा की गई है। प्रार्थीया अपनी गैर खातेदारी भूमि की तरमीम वर्तमान में दर्ज तरमीम के स्थान पर शुद्ध करवाकर वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा कब्जेशुदा स्थान पर तरमीम करवाना चाहती है। उक्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद जाहिर नही पाया गया है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

## —: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131—136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर** मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां स्थित आराजी नं0 1865/1389 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां